## भू एवं जल संरक्षण

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ( )प्रमुवसं/मुवजीप्र/प्रोजेक्ट्स/2000/87 | 3.2.2001 | कार्यों के संपादन के संबंध में पारदर्शिता एवं रिकॉर्ड संधारण। | 136 |
| 2. | F 29(5)Dev./PCCF/WPFS/2001/1896 | 19.4.2001 | Record keeping of soil conservation treatment and their benefits. | 137 |
| 3. | एफ( )विकास-I/प्रमुवसं/मुवजीप्र-काआवब/ 01/ 3351 | 18.6.2001 | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एफ.पी.आर. एवं आर.वी.पी. के अन्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों में गुणवत्ता एवं तकनीकी कारणों का ध्यान रखा जावे। | 137 |
| 4. | एफ( )विकास-I/प्रमुवसं- काआवब/01/3387 | 19.6.2001 | सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखित में कार्य आदेश जारी करने के बाद ही विभागीय कार्य सम्पादित किये जावें। | 138 |
| 5. | एफ( )विकास-I/प्रमुवसं- काआवब/01/3378-86 | 19.6.2001 | विभागीय विकास कार्यों में स्थानीय श्रमिकों से ही कार्य कराया जावे। | 138 |
| 6. | एफ()विकास/प्रमुवसं/काआवब/2001/ 3864-65 | 6.7.2001 | वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में गाइड लाइन्स। | 139 |
| 7. | एफ()विकास/प्रमुवसं/ काआवब/2001/3874-75 | 6.7.2001 | कृषि भूमि में बंडिंग कार्यों के संबंध में गाइड लाइन्स। | 142 |
| 8. | Krishi Bhawan, New Delhi D.O. No. 8-6/97-NRM-I | 14.8.2001 | Clarification in guideline of FPR & RVP Scheme | 144 |
| 9. | एफ16(59)विकास-I/ प्रमुवसं-काआवब/01/7270 | 9.11.2001 | सक्षम अधिकारी से प्राक्कलन स्वीकृत कराकर ही कार्य प्रारम्भ किये जावें। | 145 |
| 10. | एफ22(4)2002/विकास/ प्रमुवसं/8753 | 24.10.2002 | विकास कार्य बिना स्वीकृत प्राक्कलन के प्रारम्भ किया गया तो सम्बन्धित कार्य के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। | 145 |
| 11. | — | — | वाटरशेड जर्नल | 146 |

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ ( ) प्रमुवसं/मुवजीप्र/प्रोजेक्ट्स/2000/87 दिनांक 3.2.2001**

**विषय :- कार्यों के संपादन के संबंध में पारदर्शिता एवं रिकॉर्ड संधारण।**

महोदय,

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह लाया गया है कि एस.सी.ओ., आबूरोड के अधीन वर्ष 1991-92 से 1994-95 के बीच किये गये कार्यों में से कुछ के बारे में मण्डल वन अधिकारी, सिरोही को कोई जानकारी ना तो रिकॉर्ड के अनुसार और ना ही ग्राउण्ड पर कार्यों की उपलब्धता के आधार पर ही है। इसके कारण उनके द्वारा उन क्षेत्रों में पुनः कार्य संपादित कराने के लिये प्रोजेक्ट तैयार कर प्रेषित किया है। अतः यह आवश्यक है कि मण्डल वन अधिकारी, सिरोही तथा एस.सी.ओ. आबूरोड इस बारे में संयुक्त निरीक्षण कर भ्रांतियां दूर करें तथा यदि कोई कार्य कागजों में किया जाना बतलाकर वास्तव में नहीं किये गये हैं या उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि अब वे ग्राउण्ड पर दिखाई भी नहीं देते तो इसके बारे में वांछित जांच करवाई जावे।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य से निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में कार्य संपादन के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही अवश्य की जावे :-

1. प्रतिवर्ष किये जाने वाले कार्यों की पूर्व सूचना मय कार्यस्थल, क्षेत्रफल, राशि आदि के विवरण के संबंधित उप वन संरक्षक को अवश्य दी जावे तथा कार्य समाप्ति पर भी पुनः पूर्ण विवरण सहित सूचना दी जावे। इन सूचनाओं के साथ नक्शा भी भेजा जावे ताकि कार्यस्थल के बारे में पता लग सके। दोनों की सूचना आपको भी दी जावे।
2. कार्यों का संपादन ग्राम वन सुरक्षा समिति या वाटरशेड डवलपमेंट कमेटी गठित कर उनके माध्यम से उसी प्रकार करावें, जिस प्रकार अन्य प्रादेशिक उप वन संरक्षक या अन्य विभाग कराते हैं।
3. किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण एस.सी.ओ. तथा वन संरक्षकगणों द्वारा समय-समय पर किया जावे तथा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तुरन्त संबंधित अधिकारी तथा नियंत्रण अधिकारी को भेजी जावे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(का.आ.व.ब.)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

**Office of the Principal Chief Conservator of Forests (WP&FS), Rajasthan, Jaipur letter no. F 29(5)Dev./ PCCF/WPFS/2001/1896 dated 19.4.2001**

Sub.: Record keeping of soil conservation treatment and their benefits.

Sir,

In reference to the above it has observed quite often that the record keeping of soil conservation treatment is not found to be satisfactory. Therefore, whenever there is an urgent need of the data regarding the details of the subwatersheds and status of treatment with the type and extent of various structures the collection of such data takes undesired time. The treatment in the Banas catchment has just been started and therefore creating a data bank record would be easy and most valuable.

**In the field**

As suggested vide this office letter No. 1134 dated 14.6.2000 a watershed journal on the lines of plantation journal may be prepared for every subwatershed which would contain (i) key statistics, related to geographical, geological, climatic, demographic, socio-economic, revenue, agriculture and vegetation in the subwatersheds (ii) Approved work programme and progress of works (iii) Data related to benefits of the programme, for this formats may be devised and discussed with the undersigned at an early date.

**In the office**

Progress of treatment in every subwatershed may be recorded in a proper manner. Easy formats may be devised to keep record at various levels. Performa proposed for the above are given at Annexure A & B. If any correction is required it may be indicated to this office.

Yours faithfully,
Signature/-
Pr. Chief Conservator of Forests (WP&FS)
Rajasthan, Jaipur

*(**भावार्थ** :- भू-संरक्षण कार्यों के लिए संधारित रिकॉर्ड पूर्णतया संतोषप्रद नहीं है। प्रत्येक उप जलग्रहण क्षेत्र के लिए प्लान्टेशन जर्नल के अनुरूप वाटरशेड जर्नल संधारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सब वाटरशेड क्षेत्र की प्रगति सूचना कार्यालय में सही तरीके से रिकॉर्ड की जानी चाहिए।)*

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ( )विकास-I/ प्रमुवसं/मुवजीप्र-काआवब/01/3351 दिनांक 18.6.2001**

वृक्षारोपण कार्यों में गुणवत्ता एवं तकनीकी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाएं एफ.पी.आर. एवं आर.वी.पी. अन्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों में पौधों को पानी पिलाने, निराई एवं गुड़ाई कार्य संबंधित उप वन संरक्षक (भू संरक्षण अधिकारी) के लिखित आदेश के उपरान्त ही सम्पादित कराये जावें। भू संरक्षण अधिकारी उक्त आदेश में वृक्षारोपण का नाम, वर्ष, क्षेत्रफल, ब्लॉक

नम्बर (जिसमें उक्त कार्य कराये जाने हैं) पौधों की संख्या दर तथा अवधि का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। निराई, गुड़ाई कार्य या केवल निराई या केवल गुड़ाई करानी हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख भी किया हो। उक्तानुसार पूर्व लिखित आदेश के बिना कराये गये कार्य का चुकारा नहीं किया जावे। उक्त कार्य केवल तब ही कराए जावें जब अति आवश्यक हों। यथा सम्भव में कार्य 15 फरवरी के पश्चात् कतई नहीं कराए जावें।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ( )विकास-I/ प्रमुवसं-काआवब/01/3387 दिनांक 19.6.2001**

विभाग द्वारा सम्पादित किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उचित बजट प्रावधान, स्वीकृत डब्ल्यू.पी.आर./कार्य योजना, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् सक्षम स्तर से लिखित कार्य आदेश प्रसारित किये जाने के उपरान्त ही आरम्भ कराया जाना परमावश्यक है।

अतः परियोजनाओं (एफपीआर एवं आरबीपी) के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक कार्य स्थल पर कराये जाने वाले कार्य, जो पीस रेट सिस्टम से कराया जाना हो, को कार्य आदेश जारी किये जाने के पश्चात् ही आरम्भ किया जावे तथा ऐसे किसी भी कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जावे, जिसका लिखित कार्य आदेश सक्षम अधिकारी ने जारी नहीं किया है।

उक्त निर्देशों की तत्काल पालना की जावे, अवहेलना की पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी ऐसे अवैध चुकारा करने वाले अधिकारी की होगी।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ( )विकास-I/ प्रमुवसं-काआवब/01/3378-86 दिनांक 19.6.2001**

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग में परियोजनाओं (आरवीपी एवं एफपीआर) के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मृदा एवं अन्य कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को अवसर दिए बिना ही प्रदेश के बाहर के श्रमिकों से कार्य निष्पादित करा लिया जाता है। यह स्थानीय श्रमिकों की आजीविका के नैसर्गिक अधिकार और प्रदेश में प्रायः पड़ने वाले अकाल तथा सूखे के समय स्थानीय जनता को राहत प्रदान करने के राजकीय संकल्प के नितान्त प्रतिकूल है, तथा यह स्थानीय जनता को उक्त विकास कार्य से जुड़ने के अवसर से वंचित भी करता है।

अतः समस्त अधीनस्थ को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि भविष्य में परियोजना संबंधी किसी भी विकास कार्य के सम्पादन के लिए सर्वोच्च

प्राथमिकता वहीं के लोगों को लगाए जाने को दी जावें। यह निर्देश पीस रेट सिस्टम से कराये जाने वाले सभी कार्यों पर भी प्रभावी होंगे।

यदि किसी कार्य के लिए स्थानीय रूप से श्रमिक उपलब्ध न हो तो संबंधित सरपंच/प्रधान को इस स्थिति के बारे में संबंधित क्षेत्रीय/ओवरसीयर / अधिदर्शक द्वारा अवगत कराया जावे। फिर भी आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध न हों तो अन्य नजदीकी ग्राम / तहसील /जिला से श्रमिक प्राप्त करने के प्रयास किये जावें जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्रधान / विधायक महोदय का सहयोग भी प्राप्त किया जावे। स्थानीय लोगों से ही कार्य सम्पादन के उद्देश्य से श्रमिकों की अनुमानित संख्या के साथ उक्त जन प्रतिनिधियों को कार्य स्थल का नाम, कार्य की मात्रा, अनुमानित लागत और दरों के बारे में लिखित में अवगत कराया जावेगा तथा उनका सहयोग प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया जावेगा। राज्य के बाहर के श्रमिकों को बिना विभागाध्यक्ष की पूर्वानुमति के कार्य आदेश नहीं देवें।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ( ) विकास/प्रमुवसं/काआवब/2001/3864-65 दिनांक 6.7.2001**

**विषय :- वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में गाइड लाइन्स।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. योजनाओं के अन्तर्गत तैयार की जा रही वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अध्ययन एवं विभिन्न उप जलग्रहण क्षेत्रों के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। कृपया भविष्य में वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न कार्यवाही करावें :-

**सर्वे कार्य**

1. बेरोजगार सर्वेयरों से सर्वे कार्य कराने की विज्ञप्ति में दिए जाने वाले स्पेसिफिकेशन्स में तथा कार्य का आदेश देने से पूर्व करार (एग्रीमेंट) में निम्न शर्तों/कार्य को भी सम्मिलित किया जावे :-

   क. वाटरशेड में सर्वे कार्य के लिए चयन किए गये स्थाई तथा अस्थाई बेंच मार्क की फील्ड में पेंट द्वारा निशानदेही तथा नक्शे में मार्किंग किया जाना।

   ख. नालों के प्रारंभ में एवं अन्त में (जहां नाला खत्म होता है अथवा दूसरे नाले से मिलता है) मुढ्ढियाँ / पत्थरगढ़ी कर दूरी एवं लेवल अंकित किया जाना।

   ग. प्रत्येक नाले में प्रारंभ से हर 200 मीटर के अन्तराल पर पत्थरगढ़ी कर दूरी एवं लेवल अंकित किया जावे, ताकि स्ट्रक्चर डिजाइन में अनावश्यक मानवीय त्रुटियाँ न रहें।

   घ. इसी प्रकार कृषि भूमि पर भी कुछ स्थाई स्थलों जैसे- कुआँ, मकान, बिजली के पोल आदि पर लेवल अंकित किए जावें तथा इनको नक्शे पर दर्शावें।

ड़ कन्टूर शीट पर भी नाले के प्रारंभ व अन्त पर लेवल अंकित किया जावे एवं नाले की संख्या एवं कुल लंबाई अंकित की जावे।

2. अधिदर्शक, सहा. कृषि अभियन्ता एवं भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा स्वयं सर्वे फील्ड में निर्धारित नार्म्स अनुसार चैक करेंगे एवं नक्शे पर प्रमाणित करें जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि नॉर्म्स के अनुसार चैकिंग किन-किन ब्लॉक्स/भाग/क्षेत्र/नाला की गई।

### प्लानिंग कार्य

1. वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित भू-संरक्षण अधिकारी की होगी। इसकी तकनीकी दृष्टि, मृदा किस्म तथा मृदा कार्य दर, कार्यों को आवश्यकतानुसार लेना आदि की पर्याप्त/ टेस्ट चैकिंग संबंधित भू संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

2. प्रस्तावित उप जलग्रहण क्षेत्र, जिसकी डब्ल्यू.पी.आर. बनायी जानी है, का सर्वप्रथम भू-संरक्षण अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा दल के रूप में रैकी सर्वे किया जाकर प्रस्तावित कार्य एवं उपयुक्त स्थलों का चयन किया जावे। इसी समय सोइल सैम्पल्स लेना, मृदा किस्म तथा दर आदि का आकलन भी किया जावेगा।

3. वाटरशेड रिपोर्ट से संबंधित डेटा एकत्रीकरण एवं सर्वे कार्य की शत-प्रतिशत जिम्मेवारी अधिदर्शक / भू-संरक्षण सहायक की होगी।

4. सर्वे शीट तैयार होने के पश्चात् विकास कार्यों की प्लानिंग की जिम्मेदारी सहायक कृषि अभियन्ता की होगी। वे अधिदर्शक की सहायता से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, भारत सरकार के नॉर्म्स अनुसार एवं टोपोग्राफिकल फीचर्स को दृष्टिगत रखकर तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर प्लानिंग का कार्य करेंगे तथा विभिन्न स्ट्रक्चर्स के लोकेशन तथा डिजाइन तैयार करेंगे एवं उनके स्थलों का, मय नम्बर के मौके पर तथा नक्शे पर अंकन करेंगे।

5. भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा 10,000 रुपये की लागत से अधिक की अभियांत्रिकी संरचनाओं की प्रस्तावित साइट के चयन तथा तकनीकी डिजाइन को चैक कर निशानदेही फील्ड में सही है देखकर आश्वस्त होंगे।

6. इस प्रकार तैयार की गई डब्ल्यू.पी.आर. वाटरशेड रिपोर्ट के प्रस्तावित कार्यों के तकनीकी पक्ष एवं उपयुक्त स्थल चयन, मृदा कार्य की दर आदि के संबंध में संतुष्टि संबंधित वन संरक्षक, संबंधित भू-संरक्षण अधिकारी, स.भू.सं.अ. की उपस्थिति में मौके पर जाकर करेंगे, इसके बाद ही उक्त डब्ल्यू.पी.आर. स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

7. डब्ल्यू.पी.आर. तैयार करते समय क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों से लाभ उठाने वालों की तालिका भी तैयार की जावेगी जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के समक्ष संभावित लाभार्थियों के नाम, पते, उम्र एवं व्यवसाय का विवरण अंकित होगा। इस तालिका विगत की कार्य संपन्न होने के पश्चात् वार्षिक समीक्षा की जाकर लाभार्थियों के अभिमत की जानकारी विशेष विवरण में आगामी तीन वर्षों तक अंकित की जावेगी।

8. कराये गये कार्यों के संधारण हेतु 'कॉर्पस फण्ड' के अन्तर्गत स्थानीय लाभार्थियों के आर्थिक अंशदान प्राप्ति के लिए आरंभ से ही सार्थक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं ताकि उनकी सहभागिता प्राप्त हो सके तथा संपादित कार्यों के प्रति उनका जुड़ाव तथा भविष्य में संधारण हेतु उनकी जिम्मेदारी की सतत् और सहज प्रक्रिया तैयार हो सके।

9. नालों में उपलब्ध राशि अनुसार वास्तविक आधार पर स्ट्रक्चर्स की संख्या प्रस्तावित की जावे ताकि लक्ष्यों से अधिक स्ट्रक्चर निर्मित न हों। यदि प्रस्तावित एवं वास्तविक संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक तक का अन्तर हो तो नियंत्रण अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाय। प्रस्तावित एवं वास्तविक संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।

10. बन्डिंग कार्य जहां (1) सिंचित भूमि हो। (2) ढाल नगण्य हो। (3) पूर्व में ही डोले निर्मित हों। (4) एवं अन्य विभाग द्वारा यह कार्य करा जा चुका हो, प्रस्तावित नहीं किए जावें।

11. वन भूमि में अन्य योजनाओं द्वारा कार्य किया गया हो, वहाँ :-

    क. अगर वेजिटेटिव कवर अथवा जीवित पौधों की संख्या उपयुक्त मात्रा में हो किन्तु ड्रेनेजलाइन ट्रीटमेंट का अभाव हो, वहाँ डी.एल.टी. कार्य प्रस्तावित किया जावे।

    ख. अगर जीवित पौधे, किसी कारणवश उपयुक्त मात्रा में न हो तो रेण्डम सैम्पलिंग कर उसका घनत्व निकाला जावे एवं आवश्यकतानुसार

पौधारोपण भी प्रस्तावित किया जावे। गैप्स में भी पेड़ प्रजाति के पौधारोपण की स्पेसिंग 5 मी.-5 मी. से कम नहीं रखी जावे क्योंकि इससे कार्य व्यय के साथ-साथ पौधों की बढ़ोतरी कम हो जाती है।

12. वाटरशेड रिपोर्ट में भारत सरकार को प्रेषित करने के समय को दृष्टिगत रखकर प्रथम वर्ष में उपयुक्त तथा निश्चित समयावधि में पूर्ण होने वाले कार्य ही प्रस्तावित किये जावें। अगर प्रथम वर्ष में कुछ कार्य जैसे मूंजारोपण, हॉर्टीकल्चर कार्य करवाए जाने संभव न हो तो उन्हें दूसरे वर्ष रखा जावे ताकि स्पिलओवर राशि न बचे। उक्त कार्यों पर वास्तविक आवश्यकताएं कृषकों की मांग को मद्देनजर रखकर राशि प्रस्तावित की जावे। कृषकों के खेतों पर बन्ड बनाने के कार्य मे संबंधित कृषकों की सहभागिता का जहां तक सम्भव हो, प्रयास किया जाय।

13. वर्षा, जलवाह, तापमान एवं कृषि उत्पादन के डेटा मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार में निकटतम सिंचाई विभाग तथा विभागीय प्रयोगशाला/आब्जरवेटरी से एकत्रित किए जावें।

14. वाटरशेड के विभिन्न माइक्रोवाटरशेड्स में भू-संरक्षण कार्य उसकी भू-संरक्षण की स्थिति को दृष्टिगत रखकर प्रस्तावित किया जावे। नालों का ट्रीटमेंट ऊपर से प्रस्तावित किया जावे। केवल बड़े स्ट्रक्चर्स पर जोर न देकर ऊपरी क्षेत्रों में छोटे डैम्स, वेजिटेटिव हेजेज़, गली प्लानिंग आदि पर भी पर्याप्त जोर देवें।

15. डब्ल्यू.पी.आर. में प्रस्तावित क्षेत्र की मृदा का किस्मवार वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट प्रखण्डवार उल्लेख किया जावे तथा इनको नक्शे में अलग रंग शेडिंग से दर्शावें। साथ ही इनकी दरें भी सही आकलन कर अंकित की जावें।

### वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट

1. वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन संरक्षक कार्यालय में भलीभांति परीक्षण कर अग्रेषित की जावे। वांछित प्रमाण पत्र एवं नक्शे संलग्न हैं कि नहीं, सुनिश्चित किया जावे।

2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व विभागीय पद्धति के अनुरूप समस्त कार्यों के प्राक्कलन मय डिजाइन सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. सभी बड़े मृदा कार्य यथासम्भव मैकेनिकली कराए जावें तथा मैकेनिकल मृदा कार्य की अलग से दरें आकलन (वर्क स्टडी के आधार पर) पर अंकित की जावें।

उक्त सभी निर्देश पूर्व में जारी की गई गाइड लाइन्स (पत्रांक 5657 दिनांक 25.8.93) के अतिरिक्त हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ( ) विकास/प्रमुवसं/काआवब/2001/3874-75 दिनांक 6.7.2001**

**विषय :- कृषि भूमि में बंडिंग कार्यों के संबंध में गाइड लाइन्स।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.बी.पी. (चंबल, माही, दांतीवाड़ा) एवं एफ.पी.आर. (बनास) योजनाओं में उप जलग्रहण क्षेत्रों के निरीक्षण एवं संबंधित अधिकारियों/फील्ड स्टाफ से विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया है कि परियोजनान्तर्गत सम्पादित किये जा रहे बंडिंग कार्यों की तकनीकी, प्लानिंग एवं ले-आउट में सुधार की आवश्यकता है। बंडिंग कार्यों के सम्पादन में निम्न का ध्यान रखा जावे एवं फील्ड में सख्ती से पालना की जावे :-

1. वाटरशेड में स्थित कुल कृषि भूमि में से ऐसी भूमि का सर्वे/ जानकारी की जावे जो (अ) सिंचित हो (ब) कृषकों द्वारा खेतों में बन्ध बना रखे हों (स) ढाल नगण्य हो (द) अन्य योजनाओं के तहत बन्डिंग कार्य किये गये हों। ऐसी भूमि के बन्डिंग कार्य की आवश्यकता नहीं है, अतः वाटरशेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन क्षेत्रों के लिए बन्डिंग कार्य प्रस्तावित नहीं किया जावे।
2. कृषक द्वारा खेतों में निर्मित बन्ड अगर छोटे आकार के हो, किन्तु जहाँ तकनीकी दृष्टि से बड़े आकार का बन्ध बनाया जाना आवश्यक हो, वहाँ ए.ई.एन. / एक्स.ई.एन. द्वारा स्वयं मौके की स्थिति प्रमाणीकरण किया जावे। बन्ड बनाये जाने से पूर्व पुराने डोले के बन्ध का आयतन की गणना की जावे एवं नवीन निर्मित बन्ड के कुल आयतन में से घटाया जाकर ही कार्य प्रस्तावित किया जावे तथा उसी का भुगतान किया जावे।
3. ऐसा कई स्थलों पर देखने में आया है कि कृषकों द्वारा विभाग द्वारा बनाया गया बन्ध काट दिया जाता है जिससे राजकोष की हानि होती है। अतः बन्ध बनाये जाने से पूर्व कृषक से सहमति ले ली जावे एवं आवश्यकतानुसार ही क्रॉस सेक्शन रखा जावे ताकि खेतों में नुकसान न हो। बन्ध बनाने के कार्य में जहाँ तक सम्भव हो संबंधित कृषक की सहभागिता भी प्राप्त की जावे।
4. बन्ड के अनुप्रस्थ आकार का निर्धारण सहायक कृषि अभियन्ता / सहायक भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। बन्ध का ले-आउट भू-संरक्षण सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनों कार्यों की टेस्ट चैकिंग अधिशाषी अभियन्ता / भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा की जावेगी।
5. जहाँ कन्टूर पर (ना कि खेतों की सीमा पर) बन्ध निर्मित किये जा रहे हों, वहाँ :-
   - बन्ध का क्रॉस सेक्शन (अनुप्रस्थ आकार) एक ही समान रखा जा सकता है।
   - बन्ध का क्रॉस सेक्शन जलवाह के कुल आवक, वेग, उच्चतम बहाव एवं फ्लड लेवल को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जावे।
   - बन्ध का टॉप लेवल (ऊपरी सतह) एक ही लेवल का होना चाहिए।
   - पानी की कुल आवक (जलवाह) एवं बन्ध की भराव क्षमता को दृष्टिगत रखकर सरप्लस पानी के निकास के लिए आवश्यकतानुसार आउटलेट अवश्य दिया जावे अन्यथा बन्ध के बीच होने अथवा टूटने का खतरा रहेगा। जहाँ जलवाह का वेग अधिक हो वहाँ पिचिंग करी जावे।
   - कन्टूर बंध के किनारे बन्ध में हुकिंग कर ऊपर की तरफ जीरो लेवल पर अवश्य मिलाये जावें।
   - बन्ध के लिए मिट्टी बहाव के नीचे की तरफ से न खोदकर ऊपर की तरफ से खोदी जावे ताकि उनकी भराव क्षमता बढ़े, साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि किसान का खेत खराब न हो।
   - प्रत्येक बन्ध की नम्बरिंग की जावे तथा इन पर पत्थरगढ़ी अथवा पेड़ पर निशान लगाकर बन्ध की संख्या अंकित की जावे, साथ ही

पब्लिक ऑडिट के लिए गांव के सभी बंधों के मृदा कार्य की संख्या, कुल क्यू.मी., दर तथा राशि का एक बोर्ड उपयुक्त स्थल पर लगाया जावे।

- बन्ध का ढ़ाल मिट्टी की किस्म अनुसार निर्धारित किया जावे ताकि कटान न हो।
- बन्ध का क्रॉस-सेक्शन स्थल के अनुरूप तकनीकी दृष्टि से आकलन कर निर्धारित किया जावेगा किन्तु किसी भी परिस्थिति में 1.0 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

6. ग्रेडेड बन्ध (जो खेत की सीमा बनानी हैं ना कि कन्टूर पर)

- जहाँ कृषक कन्टूर पर बन्ध बनवाने के इच्छुक न हों वहाँ पर कन्टूर से 10-15 प्रतिशत तक ही विचलन (डेविएशन) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार करी जावे।
- चूँकि बन्ध कन्टूर पर नहीं बन रहा है, जमीन की सतह ऊबड़-खाबड़ अथवा असमतल ढाल वाली होगी। ऐसे स्थलों पर एक ही अनुप्रस्थ आकार का बन्ध बनाया जाना उचित नहीं है। इन बन्धों की भी ऊपरी सतह एक ही लेवल पर रखी जावे व अनुप्रस्थ आकार में ढाल एवं जलवाह के अनुसार कम या ज्यादा रखा जावे।
- अनुप्रस्थ आकार की गणना बन्ध लाइन पर सबसे गहरे स्थल के लेवल को ध्यान में रखकर की जावे।
- सबसे गहरे स्थल पर बन्ध की ऊँचाई उस स्थल से बहकर / एकत्रित जलवाह की अधिकतम ऊँचाई से 30 से.मी. अधिक रखी जावे। इस ऊँचाई को दोनों ओर ग्राउण्ड लेवल अथवा जीरो लेवल से मिलाया जावे।
- बन्ध की चौड़ाई वहाँ के जलवाह के वेग आदि पर सहायक अभियन्ता / भू संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे।
- आउटलेट बन्ध पर ऐसे स्थल पर बनें जहाँ बन्ध की पूरी लम्बाई पर पानी एकत्रित हो, सरप्लस पानी खेत में भरकर आउटलेट से निकले। आउटलेट के ऊपर भी बन्ध की ऊँचाई 20 से.मी. रखी जावे ताकि साइड कटिंग न हो।
- बनाए जाने वाले सभी बन्धों की सूची जिसमें बन्ध की क्र.सं., खसरा नम्बर, कृषक का नाम, बन्ध की माप (सं., मृदा कार्य क्यू. सी.) दर, व्यय आदि दिया हो तैयार की जावे, जो माप पुस्तिका का भाग हो।

7. मापन

बन्धों का मापन निम्नानुसार किया जावे :-

- बन्ध के मापन की विधि को भू-संरक्षण अधिकारी इस प्रकार निर्धारित करेंगे जिससे वे पूरी तरह आश्वस्त हो सकें कि वास्तविक रूप से किए गए कार्यों का ही भुगतान हो। पिट मेजरमेंट / आयतन माप के साथ-साथ बन्ध का माप (आयतन सहित) भी माप पुस्तिका में प्रत्येक बन्ध का नम्बर दर्शाते हुए अंकित किया जावे।
- कृषक द्वारा पूर्व में निर्मित डोलों का आयतन घटाया जाकर भुगतान हेतु देय आयतन की गणना की जावे।
- बन्ध लाइन में जहाँ-जहाँ भी क्रॉस सेक्शन बढ़ता हो अथवा बदलाव आया हो वहाँ माप किया जाकर आयतन की गणना की जावे।
- रेतीली तथा रेतीली दुमट मिट्टी, जिनमें क्लॉड्स बनते ही नहीं हैं, के लिए 'ब्रेकिंग ऑफ क्लॉड्स' की राशि चार्ज नहीं किया जावे।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त,
राजस्थान, जयपुर

**Shamsher Singh, Addl. Commissioner (WP) Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), Krishi Bhawan, New Delhi-110001 D.O. No. 8-6/97-NRM-I dated 14th August 2001**

Please refer to letter No. 3932 dated 7.7.2001 addressed to Dr. Rita Sharma, Joint Secretary, Department of Agriculture and Cooperation. Following clarifications are forwarded for your information:

(i) As per the guidelines of RVP and FPR scheme, treatable areas in any selected watersheds are identified as per recent surveys of the watershed. Based on the present status of degradation, the areas are selected and proposed for treatment. If the plantation in forest area has been taken up through other schemes in the past and has failed, the same area is also eligible for treatment under the scheme. However, institutional arrangements for sustainable development such as Joint Forest Management Committee, Watershed Committee etc. may be constituted with the full involvement of beneficiaries for post care maintenance to avoid the recurrence of failure.

(ii) In case of forest areas with plantation above under any other scheme, Drainage Line Treatment (DLT) works can be taken in that area, if not undertaken before.

(iii) The tree density of forest land given in the working plan is not only the basis of deciding tree population in the forest area. The information about current density may be ascertained either through recent remote sensing photographs or by physical enumeration as per standard procedure. As suggested for joint inspection by territorial DCF, SCO concerned, RO and local Sarpanch duly countersigned by CF will be acceptable for deciding current density, however, Working Plan Officer (WPO) should also be involved.

I am hopeful that the above clarifications will remove the doubts in respect of the guidelines. However, if further clarifications are needed, you are welcome to have personal discussion on this regard as per your convenience.

With regards,

Yours sincerely,
Signature/-
(Shamsher Singh)

*(**भावार्थ** : उपचार योग्य वाटरशेड का चयन नवीनतम सर्वे एवं डिग्रेडेशन की स्थिति के आधार पर किया जाए। यदि किसी क्षेत्र में पूर्व में वृक्षारोपण किया गया हो और वो असफल हो गया हो तो उस क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण किया जा सकता है। पुराने वृक्षारोपणों में डी.एल.टी. कार्य कराए जा सकते हैं। वृक्ष घनत्व के लिए कार्य योजना के स्थान पर, संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था को आधार बनाया जाए।)*

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(59)विकास-I/प्रमुवसं-काआवब/01/7270 दिनांक 9.11.2001**

प्रायः यह देखा गया है कि मण्डल वन अधिकारी विकास कार्यों के प्राक्कलन कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व स्वीकृत नहीं करते हैं तथा प्राक्कलन स्वीकृत कर इसकी प्रति वन संरक्षक को नहीं भेजते हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 645 दिनांक 29.1.2001 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि समस्त विकास कार्यों की क्रियान्वयन स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कार्यों की गुणवत्ता एवं पूर्ण तकनीकी स्पेसिफिकेशन को दृष्टिगत रखकर पर्याप्त सुपरविजन कर ही किया जावे। इस परिपत्र के माध्यम से पुनः समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि विकास कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व प्राक्कलन स्वीकृत किये / कराये जावें एवं एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के स्थायी आदेशों की पालना में, वन संरक्षक को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण पाया जाता है जिसमें बिना स्वीकृत प्राक्कलन के कार्य प्रारम्भ किए गए हैं तो संबंधित अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी मानी जावेगी। लेखा नियमों के विरुद्ध किये गये भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को भी जिम्मेदार माना जावेगा। वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण के समय इस संबंध में विस्तृत परीक्षण किया जावे तथा वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जावे।

हस्ताक्षर/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त एवं
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ22(4)2002/विकास/ प्रमुवसं/8753 दिनांक 24.10.2002**

समय-समय पर दिये गये आदेशों एवं प्रचलित नियमों के बावजूद यह पाया जा रहा है कि सक्षम अधिकारी से बिना प्राक्कलन (एस्टीमेट्स) स्वीकृत करवाये विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये जाते हैं, जो गम्भीर अनियमितता है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि तुरन्त प्रभाव से भविष्य में कोई भी विकास कार्य उस समय तक प्रारम्भ नहीं किये जावें जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत नहीं कर दिये जाते। प्लान्टेशन्स से संबंधित विकास कार्यों के लिए एस्टीमेट्स के साथ विस्तृत तकनीकी नोट तथा नक्शा भी स्वीकृति हेतु दिये जाने वाले प्रस्तावों के साथ अवश्य होने चाहिए तथा एनिकट, भवन आदि से संबंधित एस्टीमेट्स के साथ उनकी डिजाइन अवश्य संलग्न होनी चाहिए। वृक्षारोपण कार्यों के प्राक्कलन में सोइल वर्किंग के कार्यों के बारे में मृदा की किस्म का विवरण तथा दर ठीक से अंकित हो तथा जहां एक से अधिक किस्म की मृदा है, उस केस में सोइल वर्किंग के लिए विभिन्न मृदा किस्मों का प्रतिशत भी अवश्य अंकित किया जावे। संबंधित सहायक वन संरक्षक/ सहायक अभियन्ता/ उप वन संरक्षक/ भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा साइट निरीक्षण के समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जावे कि साइट पर मृदा की किस्म/किस्में वही हैं, जो प्राक्कलन में दर्शायी गई हैं एवं उनकी दरें भी ठीक दर्शाई गई हैं।

भविष्य में यदि कोई भी कार्य बिना स्वीकृत प्राक्कलन के प्रारम्भ किया गया तो उस कार्य से संबंधित व्यय एवं अनियमितताओं के लिए संबंधित उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी को जिम्मेदार माना जायेगा, साथ ही यदि बिना प्राक्कलन स्वीकृत कराए, प्रारम्भ किये गये विकास कार्यों के चुकारे के बिल पारित किये जाते हैं तो संबंधित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को भी इन चुकारों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जावेगा।

हस्ताक्षर/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

## WATERSHED JOURNAL

### Chapter-1

### Key Statistics

State :

Catchment :

Name of Sub-Watershed :

Priority :

code :

I. STATUS OF LAND USE IN WATERSHED

| S. No. | Land Use | Total area in ha. | | | | Treatable area in ha. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Govt. | Pvt. | Comm. | Total | Govt. | Pvt. | Comm. | Total |
| 1 | Agriculture Land | | | | | | | | |
| 2 | Forest Land | | | | | | | | |
| 3 | Waste Land | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | |

II. GEOGRAPHICAL AND PHYSICAL INFORMATION

A. LOCATION

(a) Longitude :

(b) Latitude :

(c) Name of District

(d) Name of Villages covered :

B. CLIMATE / HYDROLOGIC AND SEDIMENTS

1. Total Average Annual Rainfall = mm

2. Monthly Rainfall (mm)

(1) June

(2) July

(3) August

(4) Sept.

3. MAXIMUM RAINFALL INTENSITY :

(a) 15 minute duration =

(b) 30 minute duration =

(c) 60 minute duration =

4. TEMPERATURE (DEGREE CENTIGRADE)

Season Maximum Minimum

(a) Summer Season

(b) Winter Season

(c) Rainy Season

5. POTENTIAL EVAPORATION TRANSPIRATION (mm/hr)

(a) Summer Season

(b) Winter Season

(c) Rainy Season

6. RUN OFF

(i) Peak rate (cum/Sec.)

It may be calculated by Rational formula

Q= CIA / 360 cum/sec.

(ii) Frequency of peak Run off Vol. -

(iii) Total volume of rainy season (ha.m.)

(iv) Time of return of Flood

7. SEDIMENTATION

(a) Sediment Production Rate (SPR) (ha.m/100 Sqr.Kms./Year)

8. (i) SOIL PROFILE

| S.No. | Mapping Units | Area in ha. | Soil Type | Slope | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(ii) SOIL DEPTH

| S. No. | Depth (cms) | Area (ha.) |
|---|---|---|
| 1 | 0 to 7.5 cm | |
| 2 | 7.50 to 45 cm | |
| 3 | Above 45 cm | |
| | Total | |

(Iii) SLOPE PERCENTAGE

| S. No. | Slope % | Area (ha.) |
|---|---|---|
| 1 | 0-3% | |
| 2 | 3-10% | |
| 3 | 10-15% | |
| | Total | |

## CHAPTER - 2

## BRIEF DESCRIPTION OF SUB-WATERSHED AREA

(Details of location, nearest Towns, Approach, Shape, Size, Drainage, Priority, Erosion Status, Vegetation, Agriculture, Water Resources etc.)

## CHAPTER - 3

## HISTORICAL BACKGROUND

(Details of historical background, Caste Systems, Socio-Economic Conditions, Employment, Soil Conservation Measures adopted in the past, General Demand of the people regarding Fuel, Fodder & Food Grain etc.)

## CHAPTER - 4

## SOCIO-ECONOMIC PARAMETER

1. Population

| S. No. | Description of H.H. | Total No. | Population | | | | SC | | ST | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | F | CH | Tot. | HH | Memb | HH | Memb | HH | Memb |
| 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | 4c | 4d | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b |
| | | | | | | | | | | | | |

H.H.- Household, M - Male, F- Female, CH- Children, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe.

2. Cattle and Animal Population

| S. No. | Description of animals | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bullock | |
| 2 | Cows | |
| 3 | Buffaloes | |
| 4 | Goat and Sheep | |
| 5 | Camel | |
| | Total | |

3. Employment Status

| S. No. | Activity | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Agriculture | |
| 2 | Dairy | |
| 3 | Poultry | |
| 4 | Animal Husbandry | |
| 5 | Cottage Industry | |
| 6 | Labour | |
| 7 | Others | |

## CHAPTER-5

## AGRICULTURE RESOURCE STATUS

1. Agriculture Cropping Pattern — Area in hectares

| S. No. | Name of Crop | Kharif | | | Rabi | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Irr | Dry | Total | Irr | Dry | Total | Irr | Dry | Total |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c |
| (a) | Cereals & Others | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| (b) | Pulses | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| (c) | Oilseeds | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | |

Irr= Irrigated area

2. Details of Crop, Crop Rotation and Crop Yield :

| Crop Rotation | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **Crop Yield** | **Name of Major Crops** | **Yield in quintals per bigha** |
| | | |
| | | |

## CHAPTER-6

## VEGETATION

A. TREES, SHRUBS AND GRASSES ON GOVERNMENT LAND

General description of vegetation on forest and waste land including type of forests, local species, status of growth, total area, area already afforested etc.

| S. No. | Details | | Information | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Forest Land | | | |
| 2 | Name of Forest Block | | | |
| 3 | Compartments | | | |
| 4 | Type of Forests | | | |
| 5 | Species Found with Status of Growth | | | |
| 6 | Area Already Planted Under Other Schemes (Agency Area and No. of Plants) | | | |
| **S. No.** | **Name of Plantation** | **Year of Creation** | **Area** | **No. of Plants** |
| | | | | |
| 7 | Area proposed under FPR for plantation | | | |
| 8 | Species proposed to be planted | | | |

**DETAILS OF 8**

| S. No. | Name of Plantation | Year | Name & No. of Species |
|---|---|---|---|
| | | | |

## CHAPTER-7

## WATER RESOURCES

| S. No. | Name | No. | Area irrigated | Av. Command yield/depth |
|---|---|---|---|---|
| (a) | **Surface Water** | | | |
| (i) | Major irr. Project | | | |
| (ii) | Medium irr. Project | | | |
| (iii) | Ponds / Tanks | | | |
| | **Total** | | | |
| (b) | **Ground Water** | | | |
| (i) | Dug wells | | | |
| (ii) | Pumping sets in open dug well | | | |
| | **Total** | | | |

**No. of Wells with Water Availability**

| Details | No. of Wells |
|---|---|
| Alive for one month | |
| Alive for Three month | |
| Alive for Six month | |
| Alive for Nine month | |
| Alive for Twelve month | |

General description of water sources available including mode of irrigation, water table etc.

## CHAPTER-8

## INFRASTRUCTURAL STATUS

a) Nurseries

b) Credit Institutions

i) Bank

ii) Cooperative Society

c) Agro Service Centers

d) Village Panchayat

e) Road/Rail

f) Communication

g) Contact Persons

h) Organizational Setup

| S. No. | Name of Officer | Designation | Period |
|---|---|---|---|
| | | | |

CHAPTER 9 PART A

AREA STATEMENT FOR …… SUBWATERSHED CODE NUMBER ……

| S.No. | Details | Area in hectares | | | | Area in hectares | | | | Area in hectares | | | | Area in hectares | | | | Area in hectares | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I[st] MSWS | | | | 2[nd] MSWS | | | | 3[RD] MSWS | | | | 4[th] MSWS | | | | TOTAL | | | |
| | | AL | WL | FL | Total | AL | WL | FL | Total | AL | WL | FL | Total | AL | WL | FL | Total | AL | WL | FL | Total |
| 1 | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AREA NOT AVAILABLE FOR TREATMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | AREA WHICH DOES NOT REQUIRE TREATMENT DUE TO IRRIGATION FACILITIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ROCKY HILLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | ROCKY HILLS WITH STEEP SLOPES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | AREA UNDER SUBMERGENCE OF TALAIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL AREA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TREATABLE AREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SCHEDULE OF TREATMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YEAR …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YEAR …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AR EA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CHAPTER 9 PART B
WATERSHED ACTION PLAN APPROVAL BY GOI

| S. No. | Work Component | 1st Year | | 2nd Year | | 3rd Year | | 4th Year | | 5th Year | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PHY | FIN | PHY | FIN | PHY | FIN | PHY | FIN | PHY | FIN | PHY | FIN |
| | | HA/NOS | RS | HA/NOS | RS | HA/NOS | RS | HA/NOS | RS | HA/NOS | RS | HA/NOS | RS |
| | A.LAND | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour Graded/Bund supported with vegetation including suitable outlets | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams / Percolation Tank | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | |
| | LANDUSE INCENTIVE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Horticulture | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Agroforestry | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Green Manuring (seed only) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Demonstration for full calendar year in 5ha. area | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams/ Percolation Tank | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| | F. LAND | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour trenches with sowings | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams / Percolation Tank | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| | G. TOTAL | | | | | | | | | | | | |

CHAPTER 9 C

SCHEDULE OF OPERATION IN ………….. SUBWATERSHED

| S. No. | Year | A. LAND | | | F. LAND | | | W. LAND | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Area Ha | Str. Nos. | Amt. Lac | Area Ha | Str. Nos. | Amt. Lac | Area Ha | Str. Nos. | Amt. Lac | Area Ha | Str. Nos. | Amt. Lac |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | |

CHAPTER 10

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF THE YEAR ………….

| S. No. | Work Component | Spillover works of Prev. Year | | | | New Works | | | | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Targets | | Achievement | | Targets | | Achievement | | Targets | | Achievement | |
| | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | | Ha/Nos | Rs. | Ha/Nos | Rs. | Ha/Nos | Rs. | Ha/Nos | Rs. | Ha/Nos | Rs. | Ha/Nos | Rs. |
| | A. LAND | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour Graded / Bund supported with vegetation including suitable outlets | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams/ Percolation Tank | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | | |
| | LANDUSE INCENTIVE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Horticulture | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Agroforestry | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Green Manuring (seed only) | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Demonstration for full calendar year in 5 ha. area | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | | |
| | W.LAND | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour trenches with sowings | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams/ Percolation Tank | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F. LAND | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour trenches with sowings | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams/ Percolation Tank | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| | F. LAND | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Contour trenches with sowings | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contour hedges supported with contour bund | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage line treatment | | | | | | | | | | | | |
| | UPPER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | MIDDLE REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Earthen loose boulders with vegetation | | | | | | | | | | | | |
| | LOWER REACHES | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Earthen Dam | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Silt Detention Dams / Percolation Tank | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Water harvesting structure | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gabions | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Farm Pond | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL AREA | | | | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| | G. TOTAL | | | | | | | | | | | | |

**"दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के साथ तुलसी की छोटी सी टहनी होने से करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य की भी मुक्ति हो जाती है।"**

- पदम पुराण, उत्तरखण्ड